कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक–　　　/16/मीरजापुर/　　　दिनांक,जून 25 ,2016

सेवा में– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय–वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द,तहसील–सदर जिला–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2×660) मेंगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ती बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिद कार्यालय (मध्य)का पत्रांक 8 बी/08/38/2016/एफ0 सी0/79 दि0 13.05.2016 के क्रम में आपका पृष्ठाकन सं0. 2437/11.सी –Fp/Up/ थर्मल/14236/2015 दि018.05.2016।

महोदय–
विषयक प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियो कें निवारण हेतु प्रस्तावक संख्या द्वारा सूचना/अभिलेख/आख्या उनके पत्रांक 86 दि0 09.06.2016 द्वारा उपलब्ध कराई गयी। उक्त के आधार पर प्रस्ताव की त्रुटियो का निम्न प्रकार से निवारण कर संशोधित प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन विकल्प रूट मैप प्रस्ताव में संन्लग्न किया गया हैं।

2:–प्रस्ताव में विभिन्न अपेक्षित पृष्ठों पर सम्बन्धित अधिकारियो की मुहर लगा दी गयी हैं।

3:–प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्तुत बचनबद्वता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति हस्ंताक्षरित कर दिया गया हैं।

4:–परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु अपेक्षित वन भूमि का मदवार विवरण प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट–1 के B- 2-4 के अनुसार अपेक्षित भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु–5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0 हैं जिसे तद्नुसार शंशोधित कर अंकित किया गया हैं।

5:–प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के बोर्ड आफ डाइरेक्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संन्लग्न हैं।

6:–प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया अन्डरटेकिंग मूल में संन्लग्न हैं।

7:–निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संन्लग्न हैं।

8:– निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संन्लग्न हैं।

9:– निर्देशानुसार KMLफाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संन्लग्न हैं।

10:–प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व में 7.6398 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु part-A में अपलोड किया गया था जिसे अब संशोधित कर 8.3581 हेक्टेयर कर दिया गया हैं।

11:–वन भूमि का गजट अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर दिया गया हैं।

12:–उपयुक्तता प्रमाण पत्र निधार्रित प्रारूप में संन्लग्न हैं।

13:–प्रस्तावक संस्था द्वारा title,index & legent सहित टोपोशीट उपलब्ध कराई गयी जिसे मूल में संन्लग्न किया गया हैं।

14:–प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित लैण्ड शेड्यूल संन्लग्न हैं।

15:–भाग–2 के क्रम सं0–5 कार्य योजना वर्ष 2014–15 से 2023–24 के अध्याय 1 के प्रस्तर सं0–1.23 में उल्लिखित हैं कि-अभिलेखो में अंकित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमति केन्द्र/भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हैं।

16:–भाग–2 के क्रम सं0–6 में अपेक्षित सूचना अपलोड कर दी गयी हैं।

17:–भाग–2 के क्रम सं0–11(1) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन नही किया गया हैं। जैसा कि पूर्व में भी अपलोड किया गया हैं। अतः 11(1) (a)(b)(c) से सम्बन्धित सूचना शून्य हैं।

18:–क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतल्य गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण पत्र निंधारित प्रारूप में संलग्न हैं।

19:–8.3581 हे0 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव में संन्लग्न हैं। प्राक्कलन 10.00 हे0 के माडल प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया हैं, न कि 10.00 हे0 हेतु। 10.00 हे0 क्षेत्रफल के माडल के आधार पर 8.3581 हे0 गैर वनभूमि हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार किया गया हैं।

20:–मौके के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चेक लिस्ट–25) पर मुहर लगा दी गयी हैं।

21:–एन.पी.वी. का आगणन पूर्व में 8.87 लाख प्रति हे0 की दर से किया गया था जिसको ईको क्लास व हरियाली घनत्व के आधार पर 6.26 लाख प्रति हेक्टेअर की दर से संशोधित किया गया।

22:–वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया जो प्रस्ताव में सन्लग्न हैं।

23:–क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी हैं।

24:–प्रस्ताव में संन्लग्न पेज संख्या 120 से 194 प्रस्ताव से अगल कर प्रस्ताव की क्रम संख्या संशोधित कर दी गयी हैं।

25:–प्रस्तावक संख्या द्वारा परियोजना का ले आउट प्लान उपलब्ध कराया गया हैं जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।

26:–यह कि प्रस्तावक संख्या द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक समस्त 296 वृक्षों का पातन किया जाना हैं। तदनुसार प्रभावित व पातन किए जाने वाले वृक्षों की सूची समान हैं।

27:–संयुक्त निरिक्षण रिपोर्ट पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित संस्था के सक्षम अधिकारी के साथ किया गया। मौके पर अधोहस्ताक्षरी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान मीरजापुर एवं विढ़मफाल मौजूद थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी मीरजापुर एवं मड़िहान की मुहर नही लग पायी थी जिसे अब लगा दिया गया हैं।

संलग्नक–प्रस्तावक संस्था का पत्रांक 86 दि0 09.06.2015 एवं संशोधित प्रस्ताव दो प्रतियों में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

संख्या– 3724 /अ–सम दिंनाक–

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य वन संरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

(2) श्री अनुराग चोखनी, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर